

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक-..... माह..... वर्ष.....को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतदपरचात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पदधारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिती है, और सम्मिलित है।

एक पक्ष और श्री आयु लगभग-..... वर्ष वर्तमान पता..... जिसके एतदपरचात पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त बंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर बदायूं तहसील बदायूं जिला बदायूं में सिविल लाइन्स नामक मुहल्ले के योजना सं०-2 (भाग-2) भूखण्ड पर निर्मित भूखण्ड सं०-..... का निर्माण व्यय है, और चूंकि उक्त परिषद ने रु० (रु० मात्र) जिसका आधा रु० (रुपये मात्र) होता है के प्रतिफल स्वरुप उक्त सम्पत्ति संख्या भूखण्ड सं०-..... जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपरचात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है, और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव अब रु० (रु० मात्र) की धनराशि के प्रतिफल स्वरुप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद एतद द्वारा सिविल लाइन्स यो० सं०-2, (भाग-2), बदायूं में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना सम्पत्ति सं० भूखण्ड सं०-..... जिसे नीचे दी गयी अनुसूची में और अधिक पूर्णरुप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

1. परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए का परिषद गठन किया गया था, एतद द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
2. एतद्वाराहस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
3. उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया गया /अथवा किया जाना है।
4. इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
5. यदि इच्छुक क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
6. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इनमें संशोधन या परिवर्तन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं :-
क. सम्पत्ति हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।
ख. इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
7. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है, और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किये गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक

हस्ताक्षर प्रति प्रमाणित

सम्पत्ति प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
107 सिविल लाइन्स, बदायूं

भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पत्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुसंधान और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त भूखण्ड सं०-..... पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को% (... प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8. पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के संबंध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।
9. इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त भूखण्ड सं०-..... स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।
10. क्रेता ने विलेख में दिये गये निबन्धन और शर्तों का ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अधीन होंगे।
11. विक्रीत भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर की मालियत जिलाधिकारी महोदय की सर्किल दर से शरह मुवलिंग रू०/- प्रति वर्ग मीटर से/- रूपया है। लीज रेन्ट रू०/- कुल बाजारी मालियत रू०/- अर्थात् रू०/- रूपया पर नियमानुसार/- अर्थात् रू०/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। जिस पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

जिसके साक्ष्य में श्री महबूब खान, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्री पुत्र आशयिता क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची " क "

विक्रय की गयी सम्पत्ति की अनुसूची :

सीमाएँ-पूरब -	सम्पत्ति संख्या श्रेणी- भूखण्ड सं०-.....
पश्चिम -	क्षेत्रफल- वर्गमी०
दक्षिण -	पूरब - मी०
उत्तर -	पश्चिम - मी०
	दक्षिण- मी०
	उत्तर - मी०

1. साक्षी 1. हस्ताक्षर.....
2. नाम
3. पता.....
2. साक्षी 1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता.....

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

(महबूब खान)
सम्पत्ति प्रबन्धक

1. साक्षी 1. हस्ताक्षर.....
2. नाम
3. पता.....
2. साक्षी 1.हस्ताक्षर.....
2. नाम
3. पता.....

(कृते आवास आयुक्त)
क्रेता के लिए और उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर-
2. नाम-
3. पता- पुत्र

स्वयं परि उजागर

सम्पत्ति प्रबन्धक
3030 आवास एव विकास परिषद
122, मिडिल लाईन्स, चरोली